

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 635

थाना कांड संख्या- वर्ष-0, थाना- जिला- खगड़िया से उद्भूत

हर्षवर्द्धन सिंह उर्फ हर्षवर्द्धन पिता- रवीन्द्र कुमार सिंह 51 निवासी, सन्हौली,
सोन्हौली, थाना-सन्हौली, जिला-खगड़िया, बिहार- 851205

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य
2. जिलाधिकारी, खगड़िया बिहार
3. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया बिहार
4. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, खगड़िया बिहार

....प्रतिवादी/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री मयूरी मिश्रा, एडवोकेट।
प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से : श्री जी.पी.12

विचाराधीन मुद्दा : क्या जिला मजिस्ट्रेट को उल्लिखित परिस्थितियों में आदेश जारी करने का अधिकार, शक्ति या प्राधिकार प्राप्त है जबकि याचिकाकर्ता एक असामाजिक तत्व नहीं है?

क्या यह नोटिस एक औपचारिकता है जैसा कि उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 21.10.2023 को जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को 22.10.2023 को कारण बताने के लिए निर्देशित किया गया था।

निर्णय दिया गया : यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल औपचारिकताओं में बदल गया है ताकि प्राकृतिक न्याय के प्रभाव को दिखाया जा सके। यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल एक खाली औपचारिकता बन गया है और इस प्रकार उत्तरदाता की कार्रवाई को निष्कासन के आदेश बनाते समय सराहा नहीं जा सकता।

क्या जिला मजिस्ट्रेट बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 का सहारा लेकर निष्कासन का आदेश देने का अधिकार प्राप्त करता है? क्या विवादित निष्कासन आदेश सही नहीं है और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

निर्णय दिया गया: बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के उप-धारा (i) में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ के भीतर एक विरोधी सामाजिक तत्व होना चाहिए, ताकि उसे बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के दायरे में लाया जा सके, ताकि उसके खिलाफ निष्कासन का आदेश दिया जा सके। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ के भीतर एक विरोधी सामाजिक तत्व नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 का सहारा लेकर निष्कासन का आदेश देने का अधिकार नहीं मिलता।

यह देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में एक असामाजिक तत्व माना जाएगा, यदि उसे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धाराओं 25, 26, 27, 28 या 29 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ ऊपर उल्लेखित दो मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-धारा (v) को लागू करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता।

उपरोक्त के साथ, मामले जो जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा संदर्भित और भरोसा किए गए हैं, वे वर्ष 2021 और 2022 के हैं जो वर्ष 2023 में भी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि 'आदतन' का अर्थ 'बार-बार' या 'लगातार' है, विजय नारायण सिंह बनाम राज्य बिहार में (1984) 3 एससीसी 14 में रिपोर्ट किया गया।

विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य (1984) 3 एससीसी 14 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'आदतन' का अर्थ 'बार-बार' या 'लगातार' है।-चर्चा की गई-[पैराग्राफ 17]

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - आदेश के समर्थन में - मोहन सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, जो एआईआर 1978 एससी 851 में रिपोर्ट किया गया; डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो (1993) 3 एससीसी 258 में रिपोर्ट किया गया; ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, जो (2010) 13 एससीसी 427 में रिपोर्ट किया गया; क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान, जो (2010) 9 एससीसी 496 में रिपोर्ट किया गया - चर्चा की गई [पैराग्राफ 21]

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पीबी भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे
सीएवी निर्णय
(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पाण्डेय)
दिनांक : 03-05-2024

यह आपराधिक रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा बी.सी.सी.ए. केस संख्या 33/2023 में पारित दिनांक 22.10.2023 के निर्वासन के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. वर्तमान रिट याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत(ओं) की मांग की गई:-

(i) बी.सी.सी.ए. में पारित आदेश दिनांक 22.10.2023 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति की रिट सहित एक निर्देश, आदेश या रिट जारी करना। केस नंबर 33/2023 जिसके तहत याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व घोषित किया गया है और उसके खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत निष्कासन का आदेश पारित किया गया है।

(ii) एक निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, जिसमें परमादेश की प्रकृति की रिट भी शामिल है, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि दिनांक 21.10.2023 के आदेश के तहत किन परिस्थितियों में कार्यवाही इतनी जल्दबाजी में की गई कि एक दिन से भी कम समय प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

(iii) एक निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, जिसमें परमादेश की प्रकृति की रिट भी शामिल है, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि दिनांक 21.10.2023 के आदेश के तहत किन परिस्थितियों में कार्यवाही इतनी जल्दबाजी में की गई कि एक दिन से भी कम समय प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

(iv) एक निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, जिसमें परमादेश की प्रकृति की रिट भी शामिल है, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि दिनांक 21.10.2023 के आदेश के तहत किन परिस्थितियों में कार्यवाही इतनी जल्दबाजी में की गई कि एक दिन से भी कम समय प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

(v) कोई अन्य राहत/राहत जो याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

3. मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताया गया है कि नोटिस दिनांक 21.10.2023 द्वारा, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात्, जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा जारी किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह कारण बताए, यदि कोई हो, तो क्यों न उसके खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित किया जाए।

4. नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने कारण बताओ प्रस्तुत किया। जिला दंडाधिकारी, खगड़िया ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की कि निर्वासन आदेश आवश्यक था और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता दिनांक 22.10.2023 के निर्वासन आदेश की तारीख से एक महीने तक खगड़िया जिले में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 8 बजे तक सदर थाना, सीवान, जिला सीवान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्वासन के आक्षेपित आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर सवाल उठाया है क्योंकि प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा 21.10.2023 को नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को 22.10.2023 को कारण बताओ दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के बीच का समय अंतराल 24 घंटे से भी कम था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्राकृतिक न्याय के प्रभाव को दूर करने के लिए महज औपचारिकता बना दिया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराधों की तारीख और निर्वासन के विवादित आदेश की तारीख के बीच एक संबंध होना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन

वर्ष 2021 और 2022 में दर्ज होने की बात कही गई है। जबकि निर्वासन का आदेश 22.10.2023 को पारित किया गया है जिसका कोई सांठगांठ और कोई आधार नहीं है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ का विस्तृत उत्तर दायर किया है, लेकिन उसके उत्तर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया और प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा 22.10.2023 को यांत्रिक रूप से निष्कासन का आदेश पारित कर दिया गया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि केवल धारा 353 के तहत अपराध किया जा सकता है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत आता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को आदतन अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता। विद्वान वकील ने आगे कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3(1) यह स्पष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 2(डी) के अर्थ के तहत एक व्यक्ति को असामाजिक तत्व होना चाहिए ताकि एक आदेश दिया जा सके। उसके खिलाफ कारावास की सजा पारित की जा सकती है लेकिन मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता असामाजिक तत्व की परिभाषा में नहीं आता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिनियम में निर्धारित कानून की सराहना किए बिना निर्वासन का आदेश पारित किया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत जाप संख्या 2041 दिनांक 21.10.2023 के तहत एक नोटिस मिला, जिसके तहत उसे कारण बताने का निर्देश दिया गया कि क्यों न उसके खिलाफ निर्वासन का आदेश पारित किया जाए। कारण बताओ के माध्यम से याचिकाकर्ता को उपस्थित होने के लिए 24 घंटे से भी कम समय दिया गया था जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 के प्रावधान के तहत डालने के लिए प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांत को खत्म करने में किस तरह जल्दबाजी का दृष्टिकोण अपनाया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,

1981 के तहत कार्रवाई करने का कोई भौतिक आधार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं, एक वर्ष 2021 में और दूसरा वर्ष 2022 में। दोनों मामलों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है और 2021 और 2022 के मामले 2023 के लिए निर्वासन के आदेश को पारित करने के लिए कैसे प्रासंगिक हैं, यह भी नहीं बताया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि निर्वासन आदेश पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसे प्रतिवादी संख्या 2 की किसी भी कल्पना और कार्रवाई से उचित नहीं ठहराया जा सकता है जो कि पक्षपात पूर्ण एवं पूर्व निर्धारित है। उपरोक्त दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्कासन का आदेश पारित किया गया। कानून की नजर में अमान्य है और इसलिए, इसे अलग रखा जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।

6. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.10.2023 को जारी किया गया निर्वासन आदेश पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सदर खगड़िया और थाना प्रभारी, चित्रगुप्तनगर, खगड़िया पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट पर आधारित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने गंभीर अपराध किए हैं और वह कई अपराधियों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं और दो मामलों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्वासन का आदेश पारित किया गया है और यह न्यायोचित और कानूनी है और ठोस तर्क पर आधारित है। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) में निहित असामाजिक तत्व की परिभाषा को सामने लाती हैं, जो इस प्रकार है:

"2(घ). "असामाजिक तत्व" इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो-

(i) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन को आदतन करता है या करने का प्रयास करता है या उकसाता है ;

(ii) महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपराध करने या अपराध करने के लिए उकसाने का अभ्यास करता है;

(iii) जो शब्दों द्वारा या अन्यथा धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूलवंश या भाषाई समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है; या

(iv) वह आदतन महिलाओं या लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता पाया गया हो; या

(v) जिसे शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25,26,27,28 या 29 के अंतर्गत किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया हो।

8. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 की उपधारा (1) का गहन वाचन इस प्रकार है:

"3. असामाजिक तत्वों का निष्कासन आदि-(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है-

(क) कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व है और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भी हिस्से में उसके आंदोलनों या कृत्यों से व्यक्तियों या संपत्ति को खतरा, खतरा या नुकसान हो रहा है या होने की संभावना है; या

(ii) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह जिले में या उसके किसी भाग में, पटना उच्च न्यायालय सीआर डब्ल्यूजेसी संख्या 635/2024 दिनांक 03-05-2024 में भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने या ऐसे अपराध के लिए उकसाने में संलग्न है या संलग्न होने वाला है; यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह जिले में या उसके किसी भाग में भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने में लगा हुआ है या लगाने वाला है, या ऐसे अपराध को बढ़ावा दे रहा है;

(ii) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह जिले में या उसके किसी भाग में, पटना उच्च न्यायालय सीआर डब्ल्यूजेसी संख्या 635/2024 दिनांक 03-05-2024 में भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के तहत

दंडनीय किसी अपराध को करने या ऐसे अपराध के लिए उकसाने में संलग्न है या संलग्न होने वाला है; यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह जिले में या उसके किसी भाग में भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने में लगा हुआ है या लगाने वाला है, या ऐसे अपराध को बढ़ावा दे रहा है; जिला दंडाधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उसे खंड (क) और (ख) के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति से अवगत कराएगा और उसे उनके संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर देगा।

9. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 की उप-धारा (i) को पढ़ने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में असामाजिक तत्व होना चाहिए, ताकि उसे बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के दायरे में लाया जा सके, ताकि उसके खिलाफ निर्वासन का आदेश दिया जा सके। इस प्रकाश में विचार करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में असामाजिक तत्व नहीं है, तब तक जिला दंडाधिकारी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 का सहारा लेकर निर्वासन का आदेश देने का अधिकार, शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

10. इसे थोड़ा अलग ढंग से कहें तो, किसी व्यक्ति को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 का सहारा लेकर निर्वासित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में असामाजिक तत्व के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निर्वासन का आदेश देने की एक शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को निर्वासित किया जाना है, वह बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 में परिकल्पित एक असामाजिक तत्व होना चाहिए।

11. इसलिए, सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, निष्कासन का विवादित आदेश याचिकाकर्ता को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के तहत परिभाषित एक असामाजिक तत्व बनाता है ?

12. यह ध्यान देने योग्य है कि बीसीसीए केस संख्या 33/2023 में पारित अपने आदेश दिनांक 22.10.2023 में प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् जिला दंडाधिकारी, खगड़िया ने याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व मानने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए दो मामलों को ध्यान में रखा है। प्रासंगिक दंड प्रावधानों के साथ ये दो मामले नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं-

(i) खगड़िया थाना कांड संख्या 1041/2022 दिनांक 06.10.2022 भारतीय दंड संहिता की धारा 147,341,323,188,290,353,504,506,120(बी)और बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत।

(ii) खगड़िया (चित्रगुप्तनगर) थाना कांड संख्या 829/21 दिनांक 16.10.21 भारतीय दंड संहिता की धारा 188,353,290,34 के अंतर्गत।

13. दो मामलों में से एक मामला वर्ष 2021 में तथा दूसरा मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया है, जो निष्कासन के विवादित आदेश का आधार बना।

14. हमने ऊपर असामाजिक तत्व की जिस परिभाषा पर चर्चा की है, उससे यह आसानी से देखा जा सकता है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व माना जाएगा, यदि उसे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25,26,27,28 या 29 के तहत अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

15. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है। इसलिए, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खंड (v) को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

16. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है। इसलिए, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खंड (v) को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड (i) के अनुसार, जो व्यक्ति स्वयं अथवा किसी गिरोह का सदस्य अथवा नेता बनकर भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI अथवा अध्याय XVII के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करता है, करने का प्रयास करता है अथवा अपराध करने के लिए उकसाता है, वह असामाजिक तत्व माना जाएगा।

17. इस स्तर पर हम यह बताना चाहेंगे कि **विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य (1984) 3 एससीसी 14** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि "आदतन" का अर्थ है "बार-बार" या "लगातार"। यह निरंतरता के एक धागे को दर्शाता है जो समान दोहराए जाने वाले कार्यों को एक साथ पिरोता है। आदत के अनुमान को सही ठहराने के लिए बार-बार, लगातार और समान, लेकिन अलग-थलग नहीं, व्यक्तिगत और असमान कार्य आवश्यक हैं। यह प्रत्येक उप-खंड में उल्लिखित एक ही तरह के कार्यों या चूकों के बार-बार होने या समान कार्यों या चूकों के समूह को दर्शाता है। यह बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड (i), उप-खण्ड (ii) और उप-खण्ड (iv) में अलग-अलग "आदतन" शब्द के प्रयोग से स्पष्ट प्रतीत होता है, न कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड (iii) और (v) में। यदि राज्य विधानमंडल का यह अभिप्राय होता कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड (i) से (v) में से किसी में निर्दिष्ट दो या अधिक कार्यों या चूकों का किया जाना किसी व्यक्ति को "असामाजिक तत्व" बनाने के लिए पर्याप्त है, तो परिभाषा इस प्रकार होगी "असामाजिक तत्व" का अर्थ है "ऐसा व्यक्ति जो आदतन है।" जैसा कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) में वर्तमान में है, जबकि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड(iii) या उप-खण्ड(v) के अन्तर्गत, उनमें निर्दिष्ट एक भी कार्य या चूक संबंधित व्यक्ति को 'असामाजिक तत्व' मानने के लिए पर्याप्त हो सकती है, उप-खण्ड (i), उप-खण्ड (ii) या उप-खण्ड (iv) के मामले में, संबंधित व्यक्ति द्वारा उप-खण्ड (i), उप-खण्ड (ii) या उप-खण्ड (iv) में निर्दिष्ट समान प्रकार के तथ्यों या चूकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए ताकि उसे 'असामाजिक तत्व' माना जा सके। उप-खण्ड (i), (ii) और (iv) में से किसी एक में निर्दिष्ट कार्य या चूक का किया जाना तथा उक्त उप-खण्डों में से किसी अन्य में निर्दिष्ट अन्य कार्य या चूक का किया जाना किसी व्यक्ति को "असामाजिक तत्व" मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिहार अपराध नियंत्रण

अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के उप-खण्ड (i) के अंतर्गत आने वाला एकल कार्य या चूक तथा उप-खण्ड (iv) के अंतर्गत आने वाला एकल कार्य या चूक, इसलिए, उनमें से किसी में भी निर्दिष्ट आदतन कार्य या चूक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि "आदत" के विचार में दृढ़ता का तत्व तथा एक ही वर्ग या प्रकार के कार्यों या चूकों को दोहराने की प्रवृत्ति शामिल है, यदि विचाराधीन कार्य या चूक एक ही प्रकार के नहीं हैं या भले ही वे एक ही प्रकार के हों, जब उनके बीच बहुत समय अंतराल होता है, तो उन्हें आदतन नहीं माना जा सकता है। (उक्त मामले पर अयूब उर्फ पप्पूखान नवाबखान पठान बनाम एस.एन. सिन्हा में पहले ही चर्चा हो चुकी है (1990)

4 एससीसी 552.)

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जब कहा जाता है कि उसके खिलाफ दो अलग-अलग वर्षों में दो मामले दर्ज किए गए हैं।

19. उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में जिला दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व मानने के लिए दो मामलों का सहारा लिया है, लेकिन इनमें से कोई भी मामला याचिकाकर्ता को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) के अर्थ में असामाजिक तत्व नहीं बनाता है।

20. उपरोक्त के साथ-साथ, जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा संदर्भित और जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे वर्ष 2021 और 2022 के हैं। उक्त वर्षों के मामले वर्ष 2023 में निर्वासन आदेश पारित करने के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण या उल्लेख निर्वासन आदेश में नहीं किया गया है और न ही अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से कोई स्पष्टीकरण मिलता है।

21. वर्तमान मामले में, निर्वासन के आदेश से एक दिन पहले नोटिस दिया गया है, जिसका उत्तर देना विवेकपूर्ण और व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक है। मूल रूप से, यह केवल प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत की औपचारिकता को दर्शाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पहले ही प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी प्राधिकारी की कार्रवाई केवल प्राकृतिक न्याय के प्रभाव को दूर करने के लिए पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के अलावा और कुछ नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के प्रकाश में, **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य** के प्रासंगिक निर्णय को उद्धृत करना आवश्यक है, जो **एआईआर 1978 एससी 851** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है कि प्राकृतिक न्याय के नियम सभी कानूनी प्रणालियों में निहित हैं और शीघ्रता की आवश्यकता और प्रतिवादी को उसके खिलाफ सामग्री देखने का पूरा अवसर देने की आवश्यकता के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसे अपवादस्वरूप मामले हो सकते हैं, जहां एकपक्षीय रूप से मामले का निर्णय करना अनुचित होगा और न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुचितता को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए। फिर भी कोई सिद्धांतवादी दृष्टिकोण वांछनीय नहीं है, लेकिन न्यायालय को किसी दिए गए मामले में स्वीकार्य सीमा तक मुख्य नियम को बचाने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यदि नियम सही है और कानून द्वारा अस्वीकृत नहीं है, तो हमें इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए और न ही हर उस अधिकारी को दोषी ठहराने में संकोच करना चाहिए जो दूसरों के अधिकार को प्रभावित करता है। ऑडी अल्टरम पार्टम नियम के कुछ पहलू हैं जिनमें से दो हैं (क) मामले की सूचना दी जानी चाहिए; और (ख) स्पष्टीकरण का अवसर। आइए अध्ययन करें कि मौजूदा स्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ किस हद तक सह-अस्तित्व में हो सकती है। जब प्राकृतिक न्याय का सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है, तो मानक परिस्थितियों के साथ बदलते हैं, एक संक्षिप्त, यहां तक कि निर्णय के बाद के अवसर में सिकुड़ जाते हैं, या परीक्षण-प्रकार के जाल में विस्तारित हो जाते हैं। **डी.के. यादव बनाम**

जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने (1993) 3 एससीसी 258 में रिपोर्ट की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चर्चा की है कि प्राकृतिक न्याय के उद्देश्य के लिए अर्ध न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है और प्रशासनिक जांच और अर्ध न्यायिक जांच दोनों का उद्देश्य एक ही है यानी न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचना और यदि प्राकृतिक न्याय न्याय को सुरक्षित करने के लिए गणना की जाती है या इसे नकारात्मक रूप से न्याय की विफलता को रोकने के लिए किया जाता है। यह देखना मुश्किल है कि इसे केवल अर्ध न्यायिक जांच पर लागू होना चाहिए और प्रशासनिक जांच पर नहीं। यह तार्किक रूप से दोनों पर लागू होना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा हैं और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य** के मामले में (2010) 13 एससीसी 427 में रिपोर्ट की है कि अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को भी अपने आदेश के समर्थन में कारण दर्ज करने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान** के मामले में (2010) 9 एससीसी 496 में भी यही दृष्टिकोण दोहराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डिवीजनल पर्सनेल ऑफिसर, साउथर्न रेलवे और अन्य बनाम टी.आर. चालप्पन** के मामले में 1975 एआईआर 2216 में रिपोर्ट किया इस बात पर चर्चा की है कि 'विचार' शब्द का अर्थ केवल यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के बाद किसी आपराधिक आरोप में दोषी पाए जाने पर दोषी कर्मचारी पर लगाए जाने वाले दंड की प्रकृति और सीमा तय करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 'विचार' शब्द पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई के बाद मामले के सभी पहलुओं, पक्ष और विपक्ष पर विचार करने की बात करता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रहमत खान उर्फ रम्मू बिस्मिल्लाह खान बनाम पुलिस उपायुक्त** के मामले में आपराधिक अपील संख्या 912/2021 [विशेष अनुमति याचिका

(सीआरएल) संख्या 1676/2021] के पैरा 29 में **गाजी सदुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय (2003) 7 एससीसी 330** का हवाला देते हुए कहा है कि निर्वासन का आदेश पारित करते समय, आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को आदेश पारित करने की समीचीनता से संतुष्ट होना चाहिए। यदि प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि वस्तुनिष्ठ है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर आधारित है, तो न्यायालय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल इसलिए कि संभवतः दूसरा दृष्टिकोण लिया जा सकता है।

हालांकि, प्राधिकारी की संतुष्टि में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि दर्ज की गई संतुष्टि स्पष्ट रूप से विकृत है, किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, भ्रामक साक्ष्य है या कोई भी उचित व्यक्ति अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर निर्वासन का आदेश पारित करने की समीचीनता/आवश्यकता के बारे में संतुष्ट नहीं हो सकता है।

22. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को महज एक खोखली औपचारिकता बना दिया गया है और निर्वासन का आदेश देते समय प्रतिवादी संख्या 2 की ऐसी कार्रवाई की सराहना नहीं की जा सकती है।

23. इस प्रकार, किसी भी कोण से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(घ) द्वारा दी गई असामाजिक तत्व की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 को लागू करके याचिकाकर्ता को निर्वासित करने का निर्देश देने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती थी।

24. उपर्युक्त परिच्छेदों में चर्चित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के अधिकार

क्षेत्र का उपयोग करने के लिए पूर्व शर्तें, वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं होने के कारण, वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्वासन का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

25. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क गलत नहीं है कि निष्कासन का विवादित आदेश कानून की नज़र में अमान्य है और प्रतिवादी के वकील का तर्क ऊपर की गई चर्चा के आलोक में मान्य नहीं है। हम पाते हैं कि निर्वासन का विवादित आदेश संधारणीय नहीं है और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

26. परिणामस्वरूप और ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, यह आपराधिक रिट याचिका सफल होती है। प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा बीसीसीए केस संख्या 33/2023 में पारित दिनांक 22.10.2023 का आदेश, जो वर्तमान रिट याचिका में आरोपित है, को अपास्त किया जाता है।

27. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(पी.बी.भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पाण्डेय, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।